

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राकेश कुमार**, आर.ए.एस.

प्र. सं. 087/2021 (रा.अ.)

पंजीयन दिनांक 01.10.2021

G.C.M.S. NO: - 2021/87

श्री अमर सिंह पिता दलपत सिंह जाति सोनावत आयु 75 वर्ष, निवासी
भूपालनगर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

....अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, तहसील भूपालसागर, जिला
चित्तौड़गढ़

....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय
न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण संख्या 60/2021 ना. क. निर्णय
दिनांक 17.08.2021

उपस्थिति:-1- श्री सम्पत कुमार जणवा, अधिवक्ता अपीलांत

2- श्री भैरूलाल सालवी, राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक 06.06.2024

प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने
अपीलांत का ग्राम भूपालनगर, पटवार हल्का भूपालनगर की आराजी नम्बर 1940
रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानते हुए



अमर सिंह पिता दलपत सिंह सोनावत निवासी भूपालनगर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

तीन माह के सिविल कारावास, पेनाल्टी लगान 1/- रु. का 50 गुणा यानि 50 रु. एवं लगान 10/- रु. का 50 गुणा यानि 500 रूपये शास्ति आरोपित करने के आदेश पारित किये जो अपने आप में अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। तहसीलदार, भूपालसागर से पत्रावली प्राप्त होने एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित होने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलांट के विद्वान अधिवक्ता का मुख्य कथन यह रहा कि तहसील भूपालसागर के ग्राम भूपालनगर के पटवार हल्का भूपालनगर की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम भूपालनगर की चरनोट आराजी संख्या 1940 रकबा 0.20 है। भूमि पर अपीलांट का पश्चात्वर्ती अतिक्रमण मानते हुए, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध बेदखली एवं पेनाल्टी व लगान का 50 गुणा जुर्माने तथा तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया जो विधि-विपरीत होकर मनमाफिक आदेश होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत कृषि भूमि को राजस्व अभिलेख में चारागाह दर्ज रह जाने से चारागाह भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए उक्त आशय का दण्डादेश एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जबकि प्रश्नगत भूमि आबादी भूमि से लगी हुई है तथा इस भूमि के चारों ओर या तो आबादी है या जानवरों के बांधने, उनके गोबर को एकत्रित करने एवं फसल उपज को एकत्रित करने के लिए बाड़े के रूप में उपयोग लिया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि कभी भी चारागाह उपयोग की न तो रही और न मौके पर चारागाह है बल्कि बाड़े के रूप में मौजूद है। राज्य सरकार ने हाल ही गांवों में काश्तकारों को बाड़े के रूप में भूमि आवंटन करने की नीति बनाते हुए उसे क्रियान्वित करने के निर्देश भी दिए हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो मौके की स्थिति को पत्रावली पर लिया और न ही इस दृष्टि से विचार किया। जो विवादित आदेश पारित किया है इस संबंध में न तो पटवारी ने रेकार्ड प्रस्तुत किया और ना ही पटवारी से अपीलांट को जिरह का अवसर दिया। पश्चात्वर्ती अतिक्रमण के संबंध में जो आदेश पारित किया वह कानूनी तौर पर सही नहीं है। इस संबंध में



अमर सिंह पिता दलपत सिंह सोनावत निवासी भूपालनगर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

न्यायिक दृष्टांत 1980 आर. आर. डी. एन. यू सी 53, 1981 आर. आर. डी. 401 एवं आर. आर. डी. 2001 पेज नं. 475 में माननीय राजस्व मण्डल ने स्पष्ट निर्णय दिये हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपास्त फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक का मुख्य कथन यह रहा कि प्रश्नगत भूमि राजकीय चरनोट भूमि है जिस पर अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत भूमि से बेदखली एवं शास्ति आरोपित करने तथा सिविल कारावास से दण्डित करने का पारित आदेश विधि सम्मत है।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अध्ययन एवं परिशीलन किया। पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट को दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलांत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 30.07.2021 एवं 17.08.2021 पर उसके हस्ताक्षर मौजूद है। अतः अपीलांत का कथन कि उसे पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब में ग्राम भूपालनगर की आराजी संख्या 1940 रकबा 0.20 है। भूमि पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया है लिहाजा इस आराजी पर अपीलार्थी के अतिक्रमण के तथ्य को पृथक् से साबित करने की आवश्यकता नहीं है। पटवार हल्का भूपालनगर की रिपोर्ट अनुसार ग्राम भूपालनगर की विवादित आराजीयात आराजी नम्बर 1940 रकबा 5.15 हैक्टेयर किस्म चरनोट भूमि है जिसमें से रकबा 0.20 हैक्टेयर पर अपीलांत ने नाजायज कब्जा कर रखा है। यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि भूमिधारी तहसीलदार को ऐसे नाजायज कब्जों को हटाने का अधिकार राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त किया गया है जिससे भूमिधारी तहसीलदार, भूपालसागर द्वारा की गई कार्यवाही पूर्ण रूप से विधि-सम्मत होकर नियमों के परिप्रेक्ष्य में की गई है।



अमर सिंह पिता दलपत सिंह सोनावत निवासी भूपालनगर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

जहां तक पश्चात्वर्ती कब्जे का प्रश्न है वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पुनरावेदन क्रमांक 01/2006 उनवान अमरसिंह पिता दलपतसिंह सोनावत निर्णय दिनांक 23.03.2006 की प्रतिलिपि जो कि स्वयं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई है जिसमें ग्राम भूपालनगर की आराजी संख्या 1940, 2043, 2044 उपं 2045 किता 4 कुल क्षेत्रफल 3.59 हैक्टेयर किस्म चारागाह पर सम्बत् 2062 के दौरान अपीलांट द्वारा अतिक्रमण करने से, पटवारी हल्का के प्रतिवेदन पर उप तहसीलदार भूपालसागर द्वारा राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही कर अपीलांट को बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने और पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने से 3 माह के सिविल कारावास के दण्ड का आदेश दिनांक 27.09.2005 को सुनाया जिससे अपीलांट असंतुष्ट होने से पुनरावेदन न्यायालय हाजा में पेश किया जो बाद सुनवाई दिनांक 23.11.2005 को अस्वीकार कर दिया जिसके फलस्वरूप द्वितीय पुनरावेदन न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ में पेश किया जो दिनांक 23.03.2006 को निर्णित हुआ जिसमें सिविल कारावास की सजा को निरस्त करते हुए शेष आदेश यथावत रखा गया। इस प्रकार अपीलांट का सम्बत् 2062 में भी चारागाह भूमि आराजी संख्या 1940 पर अवैध अतिक्रमण था और वर्तमान में भी चारागाह की भूमि आराजी संख्या 1940 रकबा 5.15 है. में से 0.20 हैक्टेयर पर अवैध अतिक्रमण सिद्ध है। साथ ही अपीलांट द्वारा अपने अपील मैमो में वर्णित न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्था नहीं होते।

पटवार हल्का भूपालनगर की रिपोर्ट अनुसार अपीलांट का ग्राम भूपालनगर की आराजी नम्बर 1940 रकबा 5.15 है. में से 0.20 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध है तथा अपीलांट स्वयं द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत द्वितीय पुनरावेदन क्रमांक 01/2006 निर्णय दिनांक 23.03.2006 से सम्बत् 2062 में भी अतिक्रमण सिद्ध है जिससे वर्तमान में विवादित आराजीयात पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि होती है। यह भूमि किस्म चरनोट होकर मवेशियान के चराई के उपयोग की है तथा प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया जाने के कारण अधीनस्थ न्यायालय ने सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर निर्णय पारित किया है जो विधि



प्र. सं. 87/2021 (रा. अ.)

अमर सिंह पिता दलपत सिंह सोनावत निवासी भूपालनगर, तहसील भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़ बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भूपालसागर, जिला चित्तौड़गढ़

सम्मत् होकर पूर्णरूप से नियमों के परिप्रेक्ष्य में पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.08.2021 यथावत रखा जाता है।

“निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।”

(राकेश कुमार)

